

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	<b>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</b>	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
---------------------------	---------------------------------------	---

1	2	3
---	---	---

**न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला**

**अनुमति वाद संख्या-898 / 2019-20**

फेसटस जोन पन्ना वगैरह ..... आवेदकगण

बनाम

हर्षदिल टोप्पो ..... विपक्षी

**आदेश**

आवेदकगण (1) श्री फेसटस जोन पन्ना, पिता - स्व० प्रभुदान पन्ना, स्थायी पता ग्राम - चेटर, पोस्ट - गुमला, थाना वो जिला - गुमला, हाल मोकाम - 552 वेस्ट ले आउट सोनारी, एच० रोड सोनारी, पोस्ट - सोनारी जिला - जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम झारखंड (2) जोलजेस ओमेगस पन्ना, पिता - स्व० प्रभुदान पन्ना, स्थायी पता ग्राम - चेटर, पोस्ट - गुमला, थाना वो जिला - गुमला, हाल मोकाम 2025 सेक्टर चार डी०, बोकारो स्टील सिटी बोकारो, थाना वो जिला - बोकारो ने निम्नांकित विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

**भूमि का विवरण**

मौजा	थाना का नाम / थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)
चैर	गुमला / 47	13	289	1.20 एकड़ में से 0.06 एकड़

(कुल छः डिसमिल )

आवेदित भूमि को आवेदकगण प्रस्तावित करता हर्षदिल टोप्पो, पिता - सिलबानुस टोप्पो, ग्राम - गम्हरिया, पोस्ट - सकरपुर गम्हरिया, थाना - गुमला, जिला - गुमला, हाल मोकाम ग्राम - विश्रामपुर, पोस्ट वो थाना - महुआडाड, जिला - लातेहार को राशि रूपये 5,40,000 (पाँच लाख चालीस हजार) रूपये पर बिक्री करने का तय किया है। आवेदकगण को मकान बनाने एवं अन्य दिगर काम हेतु रूपये की आवश्यकता है, रूपये आने का अन्य कोई श्रोत नहीं रहने के कारण ही आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे हैं।

अंचलाधिकारी, गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम इशतहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, गुमला के कार्यालय के पत्रांक - 27 दिनांक 04.07.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदकगण के पारा पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एच भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत उराँव जाति के हैं, साथ ही एक ही थाना के निवासी हैं।

अतः अंचल अधिकारी, गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदकगण (1) श्री फेसटस जोन पन्ना, पिता - स्व० प्रभुदान पन्ना, स्थायी पता ग्राम - चेटर, पोस्ट - गुमला, थाना वो जिला - गुमला, हाल मोकाम - 552 बेस्ट ले आउट सोनारी, एच० रोड सोनारी, पोस्ट - सोनारी, जिला - जमशेदपुर, ईस्ट सिंहभूम (2) जोलजेस ओमेगस पन्ना, पिता - स्व० प्रभुदान पन्ना, स्थायी पता ग्राम - चेटर, पोस्ट - गुमला, थाना वो जिला - गुमला, हाल मोकाम 2025 सेक्टर चार डी०, बोकारो स्टील सिटी बोकारो, थाना वो जिला - बोकारो को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद् द्वारा .....  
प्रदान की जाती है।

*अंकित*

**भूमि का विवरण**

मोजा	थाना का नाम /थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)
चेटर	गुमला / 47	13	289	1.20 एकड़ में से 0.06 एकड़

*(दस्तावेज में अंकित)*

चौहदी -

उत्तर - प्लॉट नं० 290 वो 291

पूरुब - नीज विक्रेता

लेखापित एवं सशोधित

दक्षिण - रास्ता

पश्चिम - नीज विक्रेता

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गुमला।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,  
गुमला।